



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

19 जुलाई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र.	कंपनी का नाम	कार्यालयीन पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.	प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक	प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1	मेसर्स साइकोट्रॉपिक्स लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नंबर 17, सेक्टर-20ए, फरीदाबाद, हरियाणा- 121001	बी-14.00623	01 अप्रैल 1998	05 अप्रैल 2021
2	मेसर्स सान पोपुलर फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	13/577, पोपुलर टावर, कोन्नि, वाक्यार पी. ओ., पथानमथीट्टा, केरला – 689698	बी-16.00179	23 अगस्त 2017	16 अप्रैल 2021
3	मेसर्स क्लासिक लिफ़ीन प्राइवेट लिमिटेड	H.No.8-2-269/19/D/5, इंदिरा नगर, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना- 500033	09.00177	25 मई 1998	04 मई 2021
4	मेसर्स अलका मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान नाम सुरभि मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड)	17ए/ 30-31, पहली मंज़िल, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	14.00624	01 अप्रैल 1998	24 जून 2021

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/560

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक